रीख़ हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नेमाराम बनाम भैराराम वगैरा धारा 75 प्रकरण सख्या 32/2015	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 केम्प मोगड़ा कल्ला में पेश हुई। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण को मजमे–ए–आम में सुना गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 05 में दिनांक 12.11.2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत मोगड़ा कल्ला द्वारा सन् 1971 में गोविन्द पुत्र दाना के देहान्त पश्चात् इसके विधिक वारिसान् हरिमा पुत्र गोविन्दा के नाम जो नामान्तरकरण दायर किया गया, जो सही एवं सत्या होना बताया गया। इसी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अपने जवाब में बताया कि मेरे पिता व पति ही एक मात्र गोविन्दा पुत्र दाना के विधिक वारिस थे। साथ ही यह भी कथन किया हमारी गौत्र "गोदा" हैं तथा अपीलान्टगण के गौत्र "रिण्डा" हैं। इस आधार पर यह गोविन्दा पुत्र दाना के वारिस नहीं हैं। यह अपील तथ्यों के परे मनगढत, झूठी तथा सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि अपील बिना किसी ठोस आधारों एवं तथ्यों के प्रस्तुत की गयी। इसकी पुष्टि ग्राम पंचायत तनावड़ा की जांच रिपोर्ट दिनांक 12.11.2021 एवं रेस्पोडेन्ट के जवाब से होना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। इसी आधार पर अपीलान्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर लूणी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट	